ालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

ीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
व प्रार्थना पत्र संख्या : 2300/2016
MS NO. : 2016/00436

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

कैलाशचंद पुत्र स्व. नेमीचंद
. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. नेमीचंद
. शारदा पुत्री स्व. नेमीचंद
. संगीता पुत्री स्व. नेमीचंद
जाति– सामुद्रिक ब्राह्मण, निवासी ग्राम आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

1. रामनिवास पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी बेरा नवोड़ा सरहद मौजा लिलरिया(आ.कालू) तहसील जैतारण।
2. रामदेव पुत्र सुगनचंद जाति ब्राह्मण
3. सुगनी उर्फ प्रयाग बाई धर्मपत्नी सुगनचंद
4. पुष्पा पुत्री सुगनचंद जाति सामुद्रिक ब्राह्मण निवासी आनन्दपुर कालू हाल मुकाम मुदखेड़ जिला नान्देड़ (महाराष्ट्र)
5. चन्द्रकला पुत्री सुगनचंद पत्नी गोविन्दलाल जाति सामुद्रिक ब्राह्मण निवासी आनन्दपुर कालू हाल मुकाम गुडगिला बरून किला एक मिनार कुमार मेडिकल के पास रायचुर (कर्नाटक)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 30/06/2016

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉक: 28/07/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद ... प्रथम तहसील जैतारण मौजा आनन्दपुर कालू चक प्रथम पटवार हल्का ... 1010 रकबा 09–11 में निम्न आराजी वाके है खाता सं... 05–10 बीघा किस्म चाही बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1045 ... किस्म बारानी चारम, खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 1006 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी चारम, खसरा नम्बर ... बीघा किस्म चाही चारम, खाता संख्या दोयम, खसरा नम्बर 1041 रकबा 03–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 664 खसरा नम्बर 1002 रकबा 09–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1928 रकबा 1004 रकबा 20–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1929 रकबा 06–07 बीघा 07–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2009 रकबा 08-17 बीघा किस्म बारानी ल, खसरा नम्बर 2010 रकबा 12-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा र 2017 रकबा 05-04 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 2036 रकबा -11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2039 रकबा 07-07 बीघा म बारानी अव्वल, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार तकार सायलान के पिता नेमीचन्द वल्द भागीरथ जाति सामुद्रिक निवासी आ0कालू बेज खातेदार काश्तकार थे, सायलान के पिता/पति नेमीचन्द का देहान्त दिनांक .03.2010 को ग्राम आ0कालू में हो चुका है। जिनके एकमात्र विधिक राधिकारी सायलान के पिता/पतिनेमीचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र मय ग्राम पंचायत 0 कालु द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है से प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्तकृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाये। सरहद मौजा आनन्दपुर कालु चक थम पटवार हल्का आ0 कालु चक-1 तहसील जैतारण में निम्न आराजी वाके है ाता संख्या 182 खसरा नम्बर 282 रकबा 08-13 बीघा किस्म चाही दोयम, सरा नम्बर 283 रकबा 03-03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 284 कबा 02-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 285 रकबा 00-07 बीघा कस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 286 रकबा 07-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 288 रकबा 03-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 289 कबा 03-01 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 290 रकबा 00-04 बीघा केस्म चाही दोयम,खसरा नम्बर 291 रकबा 02-13 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 290 रकबा 02-13 बीघा किस्म चाही दोयम, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्से के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार सायलान के पिता/पति नेमीचन्द वल्द भागीरथ जाति सामुद्रिक ब्राहम्ण निवासी आ0कालु थे, सायलान के पिता/पति नेमीचन्द का देहान्त दिनांक 30.03.2010 को ग्राम आ0 कालु में हो चुका है जिनके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी सायलान है उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावे। उपरोक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि के सायलान बतौर नेमीचन्द के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त विवादित कृषि भूमि सायलान एवं अन्य सह खातेदारान के मध्य बाई गिट्स एण्ड बाउण्डस के तकारमा नहीं हो रखा है सायलान व अन्य राह खातेदारान की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज है व नक्शा देश में भी सम्पूर्ण भूमि एक ज[illegible]ई गई है मौके के कब्जे व कारत अनुसार अलग अलग तरमीम [illegible] गैरसायलान से दो से पांच ने विवादित भूमि का बंटवाड़ा [illegible] सह खातेदार काश्तकार की सहमति से बिना अपने हिस्से की भूमि जरिए लिखि[illegible] पंजीबद्ध बैचान गैरसायलान सं. एक रामनिवास के पक्ष में बएवजाने रुपये 15,00000/- अक्षरे पन्द्रह लाख रुपयों में तहरीर व तकमील कर दिनांक 3/02/2016 को उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया गया, उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की प्रमाणित फोटो प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। इसी प्रकार यलान सं. दो एवं गैरसायलान सं. तीन ने विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाये एवं सह खातेदार काश्तकार की सहमति से बिना अपने हिस्से की भूमि जरिए त पंजीबद्ध वैचान गैरसायलान सं. एक रामनिवास के पक्ष में बएवजाने रुपये 5,000/- अक्षरे दो लाख पैतालिस हजार रुपयों में तहरीर व तकमील कर ंक 3/02/2016 को उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन करवाया , उक्त लिखित पंजीबद्ध वैचान की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है से प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे गैरसायलान सं. एक स्टेंजर परवेजर फॉर यू है एवं विवादित कृषि भूमि से आऊट अ०फ पजेशन है तथा गैरसायलान सं. 5 उक्त लिखित बैचाननामें के आधार पर विवादित भूमि का बिना बाई गिट्स एण्ड उण्ट्स के बंटवाड़ा करवाये बगैर सायलान के हक व हिस्से एवं कब्जे कारत की मे में सायलान को बेदखल कर कब्जा करने व आगे बैचान, हस्तान्तरण, रहन रने पर आमादा है व दिनांक 26/06/2016 को सायलान के एक हिस्से एवं कब्जे श्त की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरदस्ती बलपूर्वक सायलान को दखल कर कब्जा करने की एलानिया धमकी दी, जबकि गैरसायलान सं. एक को मि का बंटवाड़ा करवाये बगैर सायलान के हक हिस्से की भूमि में कब्जा करने का ोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान सं. एक द्वारा सायलान को विवादित षि भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की, तो सायलान गैरसायलान सं. क को ऐसा हरगीजं नहीं करने देंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, ऐसा होने र सायलान को गैरसायलान सं. एक के विरुद्ध बार-बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होगी, व सायलान अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रुपयों/पैसों में नहीं किया जा सकता है। सायलान अपने हक अधिकारों से महरुम हो जायेंगा, इसलिए सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलांदाजी करने व भूमि बैचान, हस्तान्तरण करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के गैरसायलान को रुकवाने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में साबित है तथा विवादित भूमि में गैरसायलान द्वारा सायलान को बेदखल कर कब्जा करने, भूमि को खुर्द बुर्द करने व भूमि को आगे बैचान, हस्तान्तरण, रहन करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति सायलान को होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है। सरहद मौजा आनन्दपुर कालु चक प्रथम पटवार हल्का आ० कालु चक-1 तहसील जैतारण में वाके आराजी खाता सं. 87 खसरा नम्बर 1010 रकबा 9-11 बीघा, खसरा नम्बर 1045 रकबा 5-10 बीघा कुल खसरान नम्बर 2 कुल रकवा 15-01 बीघा किस्म बा० दोयम/चाही चारम एवं खाता सं. 88 खसरा नम्बर 1006 रकबा 3-19 बीघा कुल खसरान -2 रकबा 12-06 बीघा , खसरा नम्बर 1041

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण

रकबा 16-05 बीघा किस्म बा0 दोयम/चाही चारम एवं खसरा नम्बर 1002 9-04 बीघा, खसरा नम्बर 1004 रकबा 20-09 बीघा, खसरा नम्बर 1928 7-08 बीघा, खसरा नम्बर 1929 रकबा 6-07 बीघा, खसरा नम्बर 2009 8-17 बीघा, खसरा नम्बर 2010 रकबा 12-00 बीघा, खसरा नम्बर 2017 5-04 बीघा, खसरा नम्बर 2036 रकबा 4-11 बीघा व खसरा नम्बर 39 रकबा 7-07 बीघा कुल खसरान 9 कुल रकबा 81-07 बीघा किस्म अव्वल/ गै0मु0 एवं खाता सं. 182 खसरा नम्बर 282 रकबा 8-13 बीघा, सरा नम्बर 283 रकबा 3-03 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 2-10 बीघा, सरा नम्बर 285 रकबा 0-07 बीघा, खसरां नंम्बर 286 रकबा 7-11 बीघा, सरा नम्बर 288 रकबा 3-00 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 3-01 बीघा, सरा नम्बर 290 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 2-13 बीघा व सरा नम्बर 292 रकबा 2-13 बीघा कुल खसरान 10 कुल रकबा- 33-15 बीघा किस्म चाही दोयम/गै0 मु0 भूमि में सायलान 1/4 हिस्से की भूमि में नेमीचन्द्र के धिक उत्तराधिकारी की हैसियत से रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त करें या करावें, व काश्त मुतालिक कुल काम करें या करावें इसमें गैरसायलान न तो किसी प्रकार से दखलदान्जी ना तो स्वयं करें, ना ही नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि से करायें, ना ही सायलान के हक, हिस्से की भूमि में सायलान को बेदखल कर कब्जा करें, एवं रेकर्ड में किसी प्रकार से रद्दो बदल व परिवर्तन करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के वाद के अन्तिम निर्णय तक गैरसायलान को रोका जावे। अन्य कोई सहायता सायलान गैरसायलान से प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2 से 5 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल संख्या 1 द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 01 जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में नेमीचन्द जी का हक हिस्सा होने एवं सायलान व उनके वारिसान होने के तथ्य लाईल्मी होने से अस्वीकार है लेकिन जहां तक जबाब देहन्दागण को जानकारी है सायलान के अलावा नेमीचन्द जी के अलावा एक जायन्दा पुत्र ओमप्रकाश भी है जिसे इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 के तथ्यों को सायलान स्वयं साबित करें, परन्तु यहां पर यह उल्लेखनीय है कि गैरसायलान संख्या 02 से लगायत 05 ने अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के गैरसायलान संख्या 01 रामनिवास को [illegible]न कर मौके पर कब्जा सौंपते हुये नामान्तरकरण की कार्यवाही करवाई है जो सही है। उक्त तथ्यों के अलावा अन्य सभी तथ्यों को जबाब देहन्दागण जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

वास्तविकता यह है कि– भागीरथ वल्द रामलाल जी के कुल 04 जायन्दा पुत्र जिनमें से मांगीलाल जी व रामनिवास जी गहलोत निसंतान फौत हो गये, उनके 02 पुत्र क्रमशः सुगनचंद व नेमीचन्द जी हुये जिनमें से सायलान एवं प्रकाश नेमीचन्द जी के वारिसान है, इसी प्रकार सुगनचंद जी के वारिसान सायलान संख्या 02 से लगायत 05 है। सुगनचंद जी के वारिसान गैरसायलान संख्या 02 से 05 के हक हिस्से की भूमि वर्षों पूर्व से ही आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई थी एवं उसकी माफिक गैरसायलान संख्या 02 से 05 का मौके पर हिस्सा व अधिकार था। तत्पश्चात गैरसायलान संख्या 02 से 05 को अपने घर परिवार में जायज जरूरत से रूपयों की आवश्यकता होने से गैरसायलान संख्या 02 से 05 ने अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति से प्रतिफल की राशि प्राप्त करते हुये अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु भूमि का बेचान गैरसायलान संख्या 01 को कर दिया है एवं मौके पर कब्जा भी सौंप दिया है। इस प्रकार से गैरसायलान संख्या 02 से 05 ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के भूमि गैरसायलान संख्या 01 रामनिवास को बेचान कर दी है एवं मौके पर कब्जा भी खरीददार को सौंप दिया गया है इस प्रकार से गैरसायलान संख्या 01 से इस भूमि का सद्भावी क्रेता भी है। भूमि बेचान होने व प्रतिफल की राशि प्राप्त करने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 02 रामदेव स्वयं की नियत में खोट आ गई, इस वजह से गैरसायलान संख्या 02 ने पूर्व में अपनी पत्नि संगीतादेवी व पुत्र परवेश से दुरभि संधि करते हुये असत्य व झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के समक्ष दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 पेश करवाया है एवं उसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करवाया है एवं साथ ही रामदेव ने इस प्रार्थना पत्र के सायलान से दुरभि संधि करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया है जो कतई गलत है। इस बेचान की गई भूमि में सायलान का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा हैं तथा बेचाननामा भी उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के कार्यालय से पंजीबद्ध हो चुका है इस प्रकार से गैरसायलान संख्या 01 इस भूमि का सद्भावी क्रेता है एवं मौके पर गैरसायलान संख्या 01 का कब्जा व हक अधिकार भी है। भूमि आपसी सहमति से पूर्व में बांटी जा चुकी है जिसका नये सिरे से, बंटवाड़ा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक 26.06.2016 को किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है एवं इस वर्ष मौके पर गैरसायलान संख्या 01 की मूंग की फसल भी खड़ी है। सायलान रामनिपाल गहलोतद्वारा इस भूमि का उपयोग उपभोग किये जाने के कथन पूर्णतया असत्य व झूठे है। साथ ही इस भूमि पर गैरसायलान संख्या 01 का ही कब्जा व हक अधिकार है, जिस पर आउट अ०फ पजेशन रहने का झूठा [illegible] लगाया गया है जबाब देहन्दा स्वंय गैरसायलान संख्या 01 ने सम्पूर्ण [illegible] अनुसार भूमि खरीद की है व मौके पर गैरसायलान संख्या [illegible] कब्जा व हक अधिकार है भूमि के कब्जे व हक अधिकार को लेकर के पक्षकारों के [illegible]य किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है। इसलिए मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होने के कथन पूर्णतया झूठे है। इस भूमि के प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि विक्रेतागण पूर्व में ही क्रेता रामनिवास से प्राप्त कर चुके है जिससे सायलान को किसी प्रकार की क्षति होना व विवाद होने के कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला–पाली

सत्य व झूठे है। सायलान गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष करने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए भी सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से कार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 में वर्णित कथन असत्य झूठे व वेवनियाद से अस्वीकार है। गैरसायलान संख्या 01 इस भूमि का सद्भावी क्रेता एवं धारी है, एवं वर्तमान में मौके पर गैरसायल संख्या 01 की मूंग की फसल है सायलान इस भूमि से पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है। इसलिए समस्त तथ्यों स्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन यलान के पक्ष में नहीं होकर के गैरसायलान के पक्ष में है, यदि किसी प्रकार से ई स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को नहीं होकर के सायलान को होगी इसलिए भी सायलान का यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के ने से खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के रसायलान की ओर से पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल ारिज के होने से खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक स्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई नेषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है कि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी बिना बंटवाड़े कराये अजनबी क्रेता को बैचान करने पर आमादा है लेकिन प्रार्थी द्वारा भी अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडे का अनुतोष नही चाहा गया है तथा सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध बिना बंटवाड़े कराये निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया अधिकारी नही माना जा सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति साबित नही होने से प्रार्थीगण. के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :– :– प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा चूंकि उभयपक्षकारान् वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखातेदारान् है, तथा प्रत्येक सहखातेदार अपने हक हिस्से तक अविभाजित आराजी का उपयोग व उपभोक्ता माना जाता है प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि में सुविधा का संतुलन किस प्रकार केवल उनके ही पक्ष में निहित [illegible] ही अविभाजित सहखातेदारी भूमि के संबंध में अन्य सहखातेदारान् के विरूद्ध [illegible] निषेधाज्ञा जारी करना जबकि प्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़े या घोषणा का अनुतोष ही नही चाहा हो, अप्रार्थीगण के लिए अपूर्णीय क्षति का कारण हो सकता है अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
[illegible] सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है ार्थीगण प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना–पत्र कार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति ात न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी ात निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

ार्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:48:17 IST
Reason: SelfAttested